ई-फाइलिंग क्या है?

इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयकर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहते हैं।

ई-फाइल कौन कर सकता है?

- व्यक्ति
- अविभक्त हिन्दू कुटुंब
- कंपनी/बी ओ आई/फर्म/न्यास/ए ओ पी/ स्थानीय प्राधिकरण/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
- बाह्य अभिकरण
- कर पेशेवर – चार्टर्ड अकाउंटेंट
- कर कटौतीकर्ता एवं संग्रहणकर्ता
- इलेक्ट्रोनिक विवरणी दाखिल करने वाले बिचौलिये

सत्यमेव जयते

कोष मूलो दण्डः

आयकर विभाग

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

ई-फाइलिंग के लाभ

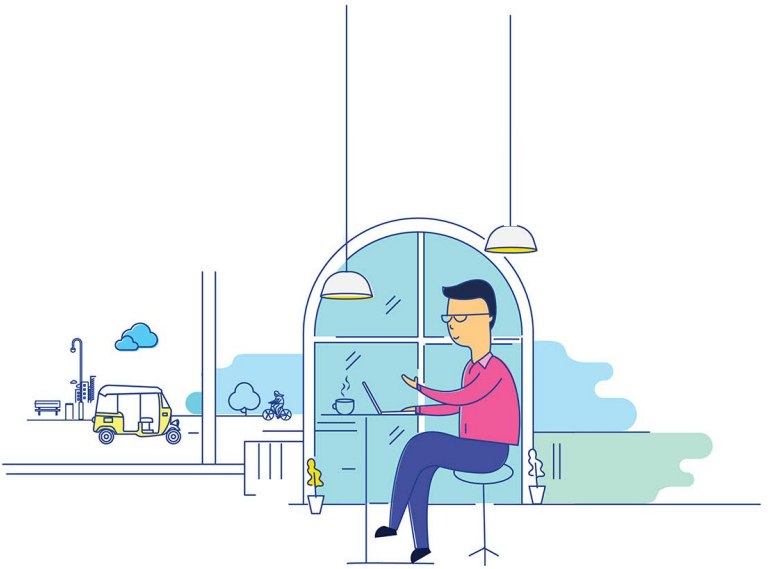

कहीं भी किसी भी समय दाखिल करें

सरल, तीव्र और सुरक्षित

त्वरित प्रतिदाय

मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे
फार्म 26AS देखें, प्रतिदाय की प्रस्थिति देखें
प्रतिदाय एवं प्रक्रिया की प्रस्थिति
ई-मेल तथा एसएमएस अलर्ट

तुरंत अभिस्वीकृती

24/7 ऑनलाइन सेवा

निर्धारितियों के प्रश्नों हेतु समर्पित सहायता केंद्र

ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण कार्य क्षमताएं

ऑनलाइन परिशोधन दाखिल करें

यदि करदाता विभाग द्वारा जारी सूचना या आदेश में रिकॉर्ड के अनुसार आभारी त्रुटी है तो करदाता धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

वार्षिक कर क्रेडिट स्टेटमेंट

स्रोत पर कर कटौती/कर संग्रहण या स्वयं दिये गए कर का वितरण देखें।

बकाया मांग देखें और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें

करदाता ऑनलाइन माध्यम से बकाया मांग को देख सकता है और प्रत्युत्तर से अपनी सहमति या असहमति बता सकते हैं।

परिदाय पुनः जारी करने हेतु अनुरोध

प्रतिदाय असफल होने के मामले में करदाता सीपीसी से सन्देश प्राप्त होने के उपरांत ई-फाइलिंग पोर्टल पर सेवा हेतु अनुरोध कर सकता है।

ऑनलाइन दाखिल करने के कुछ चरण निम्नलिखित हैं:

ऑनलाइन ई-फाइलिंग प्रक्रिया (आईटीआर-1 तथा आईटीआर-4)

- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और "ई फाइल" से "आयकर विवरणी" पर जाएं
- "निर्धारण वर्ष" "आईटीआर" प्रकार, "फाइलिंग प्रकार", और "सबमिशन मोड" का चयन करें स्टेटस का चयन करें
- यदि आप आईटीआर प्रकार के बारे में आश्वस्त है तो जारी रखें या आईटीआर खोजने में सहायता हेतु 'Proceed' पर क्लिक करें
- फाइलिंग का कारण चुने और आईटीआर की लागू फील्ड को भरें।
- लागू सत्यापन माध्यम का चयन करें
- आयकर विवरणी में लागू सभी मोड भरें जाएं
- आईटीआर में सभी आवश्यक सूचना दर्ज करें
  सत्यापन हेतु आईटीआर-4 की हस्ताक्षारी प्रति सीपीसी को प्रेषित करें
- आईटीआर की ई-फाइलिंग पूर्ण हुई

ऑफलाइन ई-फाइलिंग प्रक्रिया

पूर्णतया ऑनलाइन करना कठिन हो सकता है विशेषकर तब, जब आपके पास विभिन्न व्यवसायी गणना और अधिक डाटा हों इसलिए आपकी सुविधा हेतु सत्र समय-सीमा समाप्ति की जटिलता बिना डाउनलोड करने और पूर्ण विवरणी एक साथ दाखिल करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।

यहाँ पर उक्त प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण प्रदान किये गए हैं:

- ई-फाइलिंग पोर्टल से सम्बंधित आईटीआर की JSON उपयोगिता डाउनलोड करें
- डाउनलोड पर जाएं - आयकर विवरणी
- यूटिलिटी को डाउनलोड करें
- आईटीआर यूटिलिटी में आवश्यक सूचना भरें और JSON फाइल जनरेट करें
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और आयकर विवरणी पर जाएं - आयकर विवरणी भरें
- "निर्धारण वर्ष" आईटीआर प्रकार, "फाइलिंग प्रकार" और सबमिशन मोड़ का चयन करें
- जनरेट की गई JSON फाइल सबमिट करें
- आईटीआर के ई-सत्यापन हेतु EVC/OTP दर्ज करें या सत्यापन हेतु आईटीआर-V की हस्ताक्षारित प्रति सीपीसी को प्रेषित करें।
- आईटीआर की ई-फाइलिंग पूर्ण हुई

ई-सत्यापन

अपनी आईटीआर जमा करने के बाद उसको पूर्ण करने हेतु उसका सत्यापन महत्वपूर्ण है। ई-सत्यापन आपकी आईटीआर के सत्यापन का सरलतम माध्यम है क्योंकि यह आपको हस्ताक्षरित आईटीआर-V को सीपीसी बेंगलुरू प्रेषित करने से छूट प्रदान करता है।

ई-सत्यापन कैसे करें

(a) ई-सत्यापन,
(b) आधार OTP
(c) नैट बैंकिंग में लॉग इन करके ई-सत्यापन कर सकते हैं। प्रिवेलिडेटीड बैंक खाते या डीमैट खाते तथा बैंक एटीम से EVC प्राप्त किया जा सकता है।
(d) DSC का उपयोग करके

प्रक्रिया पूर्ण करने के कुछ साधारण चरण हैं जो इस प्रकार हैं:

- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और ई-फाइल→ आयकर विवरणी→ ई-विवरणी सत्यापन पर जाएं।
- सत्यापित की जाने वाली आईटीआर के सामने उपलब्ध "ई-सत्यापन" लिंक पर क्लिक करें
- लागू "ई-सत्यापन" माध्यम का चयन करें
- आईटीआर के ई-सत्यापन हेतु EVC / OTP दर्ज करें
- आईटीआर का ई-सत्यापन पूर्ण हुआ

ई-कार्यवाही

ऑनलाइन बनो और जीवन में आगे बढ़ो

प्रारंभ से अंत तक कार्यवाही संचालन करने हेतु ई-कार्यवाही एक इलेक्ट्रोनिक मंच है। विभाग की और से सभी नोटिस/पत्र/सूचना ई-कार्यवाही के अंतर्गत उपलब्ध करवाएं जाते हैं जिनको निर्धारित करदाता ई-फाइल पोर्टल पर देख सकता है एवं प्रमाण सहित प्रत्युत्तर सबमिट कर सकता है। यह न केवल निर्धारिती का अनुपालन भार कम करता है बल्कि सुरक्षित स्टोरेज सुनिश्चित करता है और निर्धारिती द्वारा दाखिल सभी ई-सबमिशन को ट्रैक करता है और सम्पूर्ण प्रक्रिया को कागज रहित बनाता है।

ई-फाइलिंग तिजोरी

ई-फाइलिंग खाते के या कपट पूर्ण प्रवेश अथवा गतिविधि से बचाव हेतु ई-फाइलिंग तिजोरी प्रदान की गई है जो उच्च स्तर की प्रमाणिकता जोड़ता है जो साधारण यूजर आईडी और पासवर्ड की तुलना में उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से ई-फाइलिंग लॉग इन और रिसेट पासवर्ड हेतु उच्च सुरक्षा विकल्प उपलब्ध है।

- नैट बैंकिंग
  - आधार OTP
- डिजिटल हस्ताक्षर
- प्रमाण पत्र (DSC)
  - बैंक खाता (EVC)
- डीमैट खाता (EVC)

शिकायत प्रकोष्ठ

ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आपकी सभी शिकायतों को दर्ज करने हेतु एकल खिड़की (Single window) है। यह विंडो करदाता को विवरणी दाखिल करने के दौरान या बाद में हुई किसी भी कठिनाई के बारे में अपनी बात कहने की सुविधा प्रदान करती है।

शिकायत प्रकोष्ठ सहयोग दल

- **a** निर्धारण अधिकारी (आईटीओ/एसीआईटी) या पर्यवेक्षी प्रदानुक्रम
- **b** टीडीएस विवरणी हेतु केन्द्रीयकृत केन्द्र प्रोसेसिंग
- **c** प्रास्थिति प्रोसेसिंग हेतु सीपीसी
- **d** ई-फाइलिंग वेबसाईट समूह
- **e** एनएसडीएल
- **f** पद्धति निदेशालय
- **g** UTIITSL

होम पेज > फुटर > ग्रिवांस या ग्रिवांस लॉगइन करने के बाद >
सबमिट ग्रिवांस के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सत्यमेव जयते
कोषः मूलो दण्डः
आयकर विभाग

incometaxindiaofficial | IncomeTaxIndia
IncomeTaxIndia.Official | YouTube Income Tax India

डिज़ाइन एंड प्रिंटेड: एक्सेल प्रिंटिंग यूनिवर्स, नई दिल्ली

December, 2021

आयकर विभाग

(जन संपर्क, प्रकाशन और प्रचार)
6 तल, मयूर भवन, नई दिल्ली

इस पैम्प्लेट को कानून का संपूर्ण विवरण नहीं माना जाना चाहिए।
सम्पूर्ण विवरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 देखें।

www.incometax.gov.in